

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

डॉ. सूरज सिंह नेगी

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

19.01.2024

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

120 / 2023 प्रा.पत्र / 2023

06.11.2023

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

- 1—श्री महावीर प्रसाद साहू पुत्र श्री बिरदीचन्द साहू निवासी शिवाजी नगर कृषि मण्डी के सामने टोडारायसिंह जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स दिल्लीवाल ट्रेडर्स ग्रा. पो. बावडी तह. टोडारायसिंह जिला टोंक
- 2—मैसर्स दिल्लीवाल ट्रेडर्स ग्रा. पो. बावडी तह. टोडारायसिंह जिला टोंक
- 3—श्रीमति बबीता देवी अग्रवाल पत्नि श्री ललित कुमार अग्रवाल निवासी 3/79, फैमिली केयर हॉस्पिटल के पीछे, सेक्टर नं. 3 विद्याधर नगर जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स श्री राम ओवरसीज एच-1, राजधानी कृषि उपज मण्डी सीकर रोड जयपुर राज.।
- 4— मैसर्स श्री राम ओवरसीज एच-1, राजधानी कृषि उपज मण्डी सीकर रोड जयपुर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री ललित कुमार अग्रवाल उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 19.01.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.06.2023 को समय 10:30 पीएम पर मैसर्स दिल्लीवाल ट्रेडर्स ग्रा. पो. बावडी तह. टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री महावीर प्रसाद साहू पुत्र श्री बिरदीचन्द साहू मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महावीर प्रसाद साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक के कट्टे में धनिया पावडर (एस.आर. ब्राण्ड) 500-500 ग्राम के लगभग 15-16 नग पॉली पैक रखे हुए था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री महावीर प्रसाद साहू को फार्म नं. 5 ए दो

1804

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक



प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री महावीर प्रसाद साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह धनिया पावडर (एस.आर. ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर ए 2 एवं पैकिंग की दिनांक मार्च 2023 थी, वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 500-500 ग्राम के 4 नग खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा धनिया पावडर (एस.आर. ब्राण्ड) 500-500 ग्राम के 4 नग मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग-अलग खाकी कागज के गत्ते के चार डिब्बों में प्रत्येक में एक-एक पॉली पैक रखकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3709 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3709 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री महावीर प्रसाद साहू पुत्र श्री बिरदीचन्द साहू ने बतौर वारन्टी मैसर्स श्री राम ओवरसीज एच-1, राजधानी कृषि उपज मण्डी सीकर रोड जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/706 दिनांक 19.07.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /2407/एक्ट/2023/2420 दिनांक 23.06.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया धनिया पावडर (एस.आर. ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री ललित कुमार अग्रवाल उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की



मिलावट नहीं की गई है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस धनिया पावडर (एस. आर. ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया धनिया पावडर (एस.आर. ब्राण्ड) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 20000/- (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 19.01.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
टोंक
टोंक-राज0